राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302005

क्रमांकः– एफ.3(ख)विविध परिपत्र/अलेसे–I/1378 दिनांकः– 19/12/2025

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों को उनके पदस्थापन कार्यालय से संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा अपने स्तर से राजस्थान सेवा नियमों के विरूद्ध स्वयं के पद के कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यालय में अधीनस्थ लेखा सेवा के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार आवंटित किया जाकर आदेश का अनुमोदन करवाने हेतु प्रकरण निदेशालय में भिजवाये जाते हैं। कई प्रकरण ऐसे भी ध्यान में आये हैं जो आदेश जारी होने के बावजूद भी नियमानुसार इस निदेशालय को सूचित नहीं किया जाता है, जो कि राजस्थान सेवा नियमों के पूर्णतः विपरीत है। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा समय–समय पर ऐसे आदेश भी जारी किये जाते हैं, जिसमें लेखाकर्मी को स्वयं के पद के कार्य के अतिरिक्त मुख्यालय से बाहर, लम्बी दूरी के, भिन्न–भिन्न कार्यालयो में, रिक्त पदों का अतिरिक्त कार्य सप्ताह में निर्धारित दिन/अवधि विशेष की बाध्यता की शर्त के साथ भी दे दिया जाता है तथा कभी–कभी एक लेखाकर्मी के पास अपने कार्य के साथ–साथ एक से अधिक कार्यालयों के भी अतिरिक्त कार्य आवंटन किए जाते है, जो कि अव्यावहारिक हैं इस बाबत् कार्मिकों द्वारा इस निदेशालय को हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की जाती हैं, ऐसी स्थिति का उत्पन्न होना राज्यहित एवं कार्मिक के हित में उचित नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय होगा कि संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा लेखाकर्मियो को अतिरिक्त कार्य का आवंटन राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है, फलस्वरूप ऐसे प्रकरणों में निदेशालय स्तर से अतिरिक्त कार्यभत्ता नियमानुसार स्वीकृत नहीं हो पाता है।

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 50 के संदर्भ में सभी विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों का ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है कि राजस्थान सेवा नियम खण्ड–II के परिशिष्ठ 9 के क्रम संख्या 15 के अनुसार "समस्त विभागाध्यक्षों (प्रथम श्रेणी) को शक्तियां इस शर्त के साथ प्रदत्त की गई है कि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप संबंधित विभागाध्यक्ष, संबंधित कर्मचारी द्वारा अतिरिक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के आदेशों की प्रति के साथ नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को सूचित करते हुए अनुमोदन करवाकर अतिरिक्त कार्यादेश जारी करावें।"

अतः समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से पुनः निवेदन किया जाता है कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों को अतिरिक्त कार्य दिये जाने के प्रस्ताव इस निदेशालय को ही प्रेषित किये जावे।

19/12/2025

(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.3(ख)विविध परिपत्र/अलेसे–I/1378 दिनांकः– 19/12/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष .....।
3. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी .....।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
5. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राज. जयपुर की बिना अनुमति किए गए अतिरिक्त कार्य को अनुचित मानते हुए आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

(लखपत मीना)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)